गोपनीय

2019 का विधेयक सं. 13

राजस्थान वित्त विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2019 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 8 और 9 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 2 के खण्ड (36) में विद्यमान स्पष्टीकरण III के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण IV जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण IV.-** राज्य में खुदरा आउटलेट्स को डीजल और पेट्रोल के विक्रय के लिए तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम उस कीमत के बराबर समझी जायेगी जिस पर खुदरा आउटलेट्स ये वस्तुएं उपभोक्ता को विक्रय करते हैं;"।

अध्याय 3

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 174 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (2क) अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2क) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,-

(i) ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं और आदेशों से लोप करने, उनमें जोड़ने और उनका अनुकूलन तथा उपान्तरण करने के लिए;

(ii) निरसित अधिनियमों के अधीन वसूलीय बकाया शोध्यों के परिनिर्धारण के लिए किसी स्कीम की विरचना को सम्मिलित करते हुए, निरसित अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय कर की वसूली, छूट, अधित्यजन, अपलेखन या रिबेट के लिए; और

(iii) ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को, जो निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्रयोक्तव्य ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, जैसाकि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये, विनिर्दिष्ट करने के लिए,

ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।"।

अध्याय 4

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

5. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 8क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की विद्यमान धारा 8 के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा 8क अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"8क. राज्य सरकार की कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने की शक्ति.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते

http://finance.rajasthan.gov.in

हुए भी, राज्य सरकार लोक हित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदायकों या व्यक्तियों के किसी भी वर्ग द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"।

अध्याय 5

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है:"।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 60 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 60 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या उस दशा में कलक्टर जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कलक्टर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपये के अध्यधीन रहते हुए-" हटायी जायेगी; और

http://finance.rajasthan.gov.in

(iv) अनुच्छेद 58 में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम पन्द्रह हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए," हटायी जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

9. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(I) विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे यानों के संबंध में जो खण्ड (ख), (ग), (गग) और (घ) के अन्तर्गत नहीं आते हों, कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, जो इस राज्य के माल यानों के लिए सकल यान भार के प्रति हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2000/- रुपये प्रतिवर्ष और यात्री यानों के लिए प्रति सीट 2000/- रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी:

परन्तु जहां दरें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या मासिक आधार पर विनिर्दिष्ट नहीं की जायें और यदि कर का त्रैमासिक रूप से, अर्द्धवार्षिक रूप से या मासिक रूप से संदत्त किया जाना अनुज्ञेय हो तो संदेय रकम कर की वार्षिक दर की क्रमश: एक चौथाई, आधी या एक बटे बारह के समतुल्य रकम होगी;

(ख) गैर-परिवहन यानों के मामले में और परिवहन यानों के ऐसे वर्ग के मामले में, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एकबारीय कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, जो यान/चैसिस की लागत के 50% से अधिक नहीं होगा:

परन्तु ऊपर उल्लिखित गैर-परिवहन यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर अतिरिक्त एकबारीय कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, संदेय होगा;";

http://finance.rajasthan.gov.in

(II) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यात्री यानों की दशा में 7 दिन या उसके भाग के लिए 500/- रुपये प्रति सीट से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए, जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यात्री यानों की दशा में 2000/- रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए, सकल यान भार के प्रति हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2000/- रुपये से अधिक नहीं होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(III) विद्यमान खण्ड (ङ) हटाया जायेगा; और

(ii) उप-धारा (2) में,-

(I) विद्यमान अभिव्यक्ति "या एकमुश्त कर" हटायी जायेगी; और

(II) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-ख और 4-ग का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-ख और 4-ग हटायी जायेगी।

11. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-घ की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4-ख और 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-ङ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ङ की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4-ख और 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(I) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, धारा 4-ख और धारा 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी;

http://finance.rajasthan.gov.in

(II) प्रथम परन्तुक में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा, और विद्यमान द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (2) में,-

(I) विद्यमान अभिव्यक्ति "या एकमुश्त कर" हटायी जायेगी;

(II) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(III) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ङ) या धारा 4-ग के अधीन संदेय पूरा कर या कर की प्रथम किस्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 और धारा 4-ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

14. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**7. कर का प्रतिदाय.-** (1) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर से भिन्न कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, कर का पिछली बार संदाय किये जाने के समय से लगातार एक मास से अन्यून की कालावधि तक उपयोग में नहीं लिया गया है तो वह उस कालावधि के, जिसके लिए ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, प्रत्येक पूरे मास के लिए, ऐसे यान के संबंध में संदत्त कर की वार्षिक दर के 1/12 के बराबर रकम के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(2) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसे कर का संदाय कर

http://finance.rajasthan.gov.in

दिया गया है, राज्य के बाहर ले जाया गया है या पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है तो वह विहित रीति से आनुपातिक आधार पर ऐसे कर के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(3) कराधान अधिकारी, देय कर से अधिक संदत्त किसी भी रकम का विहित रीति से प्रतिदाय या समायोजन कर सकेगा।"।

15. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा, और विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (ख) और खण्ड (ङ)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यान पर विहित रीति से प्रदर्शित किया जायेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यान में विहित रीति से रखा जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10-क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10-क हटायी जायेगी।

17. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10-ख में विद्यमान अभिव्यक्ति ", विशेष टोकन" हटायी जायेगी।

18. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या विशेष सड़क कर" हटायी जायेगी।

19. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यान पर टोकन प्रदर्शित करने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यान में टोकन रखने" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (खखख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ", विशेष टोकन" हटायी जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

वर्तमान में, पेट्रोल और डीजल पर कर का उद्ग्रहण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा विक्रयों की श्रृंखला के प्रथम बिन्दु पर किया जाता है। इस प्रकार, तेल कंपनियां खुदरा आउटलेट्स से वसूली गयी कीमत पर कर का संदाय कर रही हैं, न कि उपभोक्ताओं द्वारा संदत्त की गयी कीमत पर। ऐसी कीमत, जो उपभोक्ता खुदरा आउटलेट्स को संदत्त करता है, पर कर प्रभारित करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (36) में एक नया स्पष्टीकरण IV जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रारंभ होने पर कतिपय विद्यमान अधिनियम निरसित किये गये थे। वर्तमान में, निरसित अधिनियमों से संबंधित कतिपय मामलों का निस्तारण करने के लिए उक्त अधिनियम में कोई सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है। इसलिए इन मामलों का निस्तारण किये जाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 174 को संशोधित किया जाना समुचित समझा गया है।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962

वर्तमान में, राज्य सरकार के पास विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति है। तथापि, इस अधिनियम में प्रदायकों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा संदेय शास्ति और ब्याज के अधित्यजन या उसमें कमी करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रदायकों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा संदेय शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने या कम करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु अधिनियम में एक नयी धारा 8क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 ऐसी लिखत को स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य बनाती है जो अनुसूची में उल्लिखित है चाहे ऐसी लिखत राज्य में या राज्य के बाहर निष्पादित की जाये। राज्य के बाहर निष्पादित की गयी लिखत तब ही प्रभार्य होती है यदि ऐसी लिखत राज्य में स्थित किसी संपत्ति या राज्य में किये गये

या किये जाने वाले किसी भी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है।

इन उपबंधों का स्टाम्प शुल्क से बचने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर संपत्ति से संबंधित लिखतें राज्य के बाहर साशय निष्पादित की जा रही हैं।

इसलिए, इन उपबंधों को और स्पष्ट बनाने की दृष्टि से और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए, राजस्थान राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित लिखतों को, चाहे ऐसी लिखतें राजस्थान राज्य में प्राप्त की गयी हों या नहीं, स्टाम्प शुल्क से प्रभारित करने के लिए धारा 3 का खण्ड (ख) यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 60 के वर्तमान उपबंधों के अनुसार किसी बैंककार द्वारा या किसी अन्य निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुए प्ररूपों के लिए उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिए छूट, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा या उस दशा में कलक्टर द्वारा, जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी द्वारा सशक्त किया गया हो, दी जा सकती है। स्टाम्पित कागजों के अन्य प्रवर्गों के लिए छूट देने हेतु कलक्टर सशक्त है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से स्टाम्पित कागजों के ऐसे प्रवर्ग के लिए भी छूट देने हेतु कलक्टर को सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।

किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित किसी करार या करार के ज्ञापन पर स्टाम्प शुल्क की दर 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.25 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार या किसी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि) पर स्टाम्प शुल्क की दर 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.25 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी कम्पनी के आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हस्तांतरण-पत्र पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा से संबंधित उपबंध हटाने के लिए राजस्थान स्टाम्प

अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

संकर्म संविदा पर संदेय स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा से संबंधित उपबंध हटाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 58 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 राज्य सरकार को, राज्य में रखे गये या उपयोग के लिए रखे गये मोटर यानों पर कर उद्‌गृहीत करने के लिए सशक्त करती है। धारा 4-ख, माल यानों और यात्री यानों के मामले में चेसिस या यान की लागत के आधार पर समस्त परिवहन यानों पर विशेष सड़क कर के अधिरोपण का उपबंध करती है। संविदा गाडियों और मंजिली गाडियों के अधिकांश प्रवर्गों में यानों की लागत में तीव्र वृद्‌धि और बाजार में अत्यधिक उच्च लागत के यानों के आगमन के कारण कर की अधिकतम सीमा नियत की गयी थी। इससे किसी यान द्‌वारा संदेय करों की रकम व्यनुपाती हो गयी है। इसलिए, माल यान के लिए सकल यान भार के आधार पर और यात्री यानों के लिए बैठक क्षमता के आधार पर मोटर यान कर अधिरोपित किया जाना युक्तियुक्त और उचित प्रतीत होता है। इसलिए, धारा 4 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में मोटर यानों पर कराधान की विविधता है। परिवहन यानों के लिए इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन मोटर यान कर और धारा 4-ख के अधीन विशेष सड़क कर संदत्त करना आवश्यक है। कर पैटर्न, संदाय-प्रक्रिया को सरल बनाने और कर अभिलेख के डिजीटाइजेशन के लिए, धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सभी परिवहन यानों पर एक ही मोटर यान कर उद्‌गृहीत किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, इस अधिनियम की धारा 4-ख को हटाया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) के अधीन गैर-परिवहन यानों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के समय एकबारीय कर का संदाय करना आवश्यक है। इसी प्रकार कतिपय परिवहन यानों, जैसेकि 16500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल यानों, तिपहिया यात्री यानों, कैब, मैक्सी कैब और 22 तक की बैठक क्षमता वाली संविदा गाड़ी बसों/निजी सेवा यानों के लिए इस अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर संदत्त करना आवश्यक है। दोनों कर समान प्रकृति के हैं और किसी यान के अस्तित्व में रहने तक के लिए संदत्त किये जाते हैं। इसलिए, इन करों को एक ही प्रवर्ग अर्थात् एकबारीय कर में रखा जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, इस

अधिनियम की धारा 4-ग को और अभिव्यक्ति 'एकमुश्त कर', जहां कहीं भी अधिनियम में आयी हो, को हटाया जाना प्रस्तावित है।

गैर-परिवहन यान से परिवहन यान के प्रवर्ग में संपरिवर्तन के कारण, संदत्त एकबारीय कर के प्रतिदाय का उपबंध है। चूंकि दोनों प्रवर्गों को एकबारीय कर के संदाय के अधीन रखा जाना प्रस्तावित है, इसलिए प्रवर्ग के संपरिवर्तन की दशा में केवल कर के अंतर की रकम वसूल की जायेगी। अत:, एकबारीय कर का प्रतिदाय अपेक्षित नहीं होगा, तदनुसार, धारा 7 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4, 4-घ, 4-ङ, 5, 10, 10-क, 10-ख, 11 और 22 में भी कतिपय पारिणामिक संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

http://finance.rajasthan.gov.in

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(43)वित्त/कर/2019 दिनांक 10.07.2019

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) से (35) **XX XX XX**

(36) "विक्रय कीमत" से इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर के सिवाय, किसी व्यवहारी को, व्यापार में सामान्यत: प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी भी किस्म के डिस्काउण्ट या रिबेट के रूप में अनुज्ञात किसी भी राशि को कम करते हुए, किन्तु किसी भी कानूनी उद्ग्रहण, या व्यवहारी के द्वारा माल या दी गयी सेवाओं के संबंध में उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गयी किसी भी बात के लिए प्रभारित किसी भी राशि को सम्मिलित करते हुए, किसी माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण I.- अवक्रय करार द्वारा किये गये किसी करार के मामले में, माल की उस तारीख को प्रचलित बाजार कीमत, जब ऐसा माल ऐसे करार के अधीन क्रेता को परिदत्त किया गया है, ऐसे माल की विक्रय कीमत समझी जायेगी;

स्पष्टीकरण II.- विक्रय के समय बीजक से यथाप्रकट नकद या व्यापार डिस्काउण्ट विक्रय कीमत में से अपवर्जित कर दिया जायेगा किन्तु भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये कोई भी डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन या रिबेट या पुरस्कार आदि अपवर्जित नहीं किये जायेंगे;

स्पष्टीकरण III.- जहां किसी संविदा के निबन्धनों के अनुसार, माल-भाड़े की लागत और माल के परिवहन के संबंध में के अन्य व्यय व्यवहारी के द्वारा क्रेता के लिए या उसकी ओर से उपगत किये जायें, वहां माल भाड़े की ऐसी लागत और अन्य व्यय विक्रय कीमत में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, यदि बीजक में पृथक् रूप से प्रभारित किये गये हों;

(37) से (45) XX XX XX

XX XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

174. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) या धारा 173 में उल्लिखित सीमा तक, उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "ऐसा संशोधन" या, यथास्थिति, "संशोधित अधिनियम" कहा गया है),-

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय, कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, को पुन: प्रवर्तित नहीं करेगा; या

(ख) संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों और उनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात या आदेशों के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों या ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन आदेशों के अधीन किसी अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता, अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा:

परन्तु किसी अधिसूचना के माध्यम से विनिधान के प्रति किसी प्रोत्साहन के रूप में मंजूर की गयी कोई कर छूट विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिवस को या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है; या

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज, जो शोध्य हैं या शोध्य हो सकते हैं, या किसी समपहरण या दण्ड को जो, संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के विरूद्ध किये गये किसी अपराध या अतिक्रमण के संबंध में उपगत या दिया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुए), निर्धारण कार्यवाहियां, न्यायनिर्णयन और कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां या बकाया की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माने, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार, और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और

http://finance.rajasthan.gov.in

लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुए), निर्धारण कार्यवाहियों, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा या बकाया की वसूली या उपचार को संस्थित किया, जारी रखा, या प्रवृत्त किया, जा सकेगा, और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्गृहीत या अधिरोपित किया जा सकेगा मानो इन अधिनियमों को इस प्रकार संशोधित या निरसित नहीं किया गया हो; या

(च) कोई कार्यवाहियां, जो उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व, या उसके पश्चात् संस्थित किसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश से संबंधित है, को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन जारी रखी जा सकेंगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को संशोधित और निरसित नहीं किया गया हो।

(3) धारा 173 और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों के उल्लेख को निरसन के प्रभाव के संदर्भ में राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों के व्यापक रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जायेगा।

XX XX XX XX

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें.- इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमश: उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी है, अर्थात् :-

(क) XX XX XX

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी न होते हुए, इस तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की गयी है, और राज्य में स्थित किसी भी

http://finance.rajasthan.gov.in

संपत्ति से या राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी भी मामले या बात से संबंधित है, तथा राज्य में प्राप्त की गयी है:

परन्तु कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत प्रभार्य न होगा:-

(i) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी लिखत पर, उन दशाओं में, जिनमें इस छूट के अभाव में, सरकार ऐसी लिखत की बाबत प्रभार्य शुल्क देने के लिए दायी होती;

(ii) कोई लिखत जो पश्चात्वर्ती अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति के चाहे आत्यन्तिकत: या बंधक द्वारा या अन्यथा, विक्रय, अन्तरण या अन्य व्ययन के लिए है।

3-क. से 59. XX XX XX

60. छपे प्ररूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो.- मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या उस दशा में कलक्टर जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, किसी बैंककार द्वारा या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुए प्ररूपों के लिए उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिए समय परिसीमित किये बिना, छूट उस दशा में दे सकेगा, जिसमें कि किसी पर्याप्त कारण से ऐसे प्रारूप उपर्युक्त बैंककार कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अपेक्षित न रह गये हों:

परन्तु यह तब जब कि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ऐसे स्टाम्पित कागजों की बाबत शुल्क सम्यक् रूप से दे दिया गया है।

61. से 91. **XX** **XX** **XX**

XX **XX** **XX** **XX**

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन	**उचित स्टाम्प शुल्क**
1	**2**
1. से 4. XX	XX
5. करार या करार का ज्ञापन-	

http://finance.rajasthan.gov.in

(क) से (ग)	XX	XX	XX
(घ) यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है;			उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत।
(ङ) से (छ)	XX	XX	XX
5-क.	XX	XX	XX
6. ऐसे हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि) अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित कोई भी दस्तावेजी सबूत :-			
(1) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी भी संपत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक या साक्ष्य हो जाता हो; या			
(2) जंगम संपत्ति का पण्यम् या गिरवी, जहां ऐसा निक्षेप, गिरवी, उधार में अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गयी है,-			
(क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर, जो करार या हक विलेखों के निक्षेप के सबूत को साक्ष्यित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है:			उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत।
(ख) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं है।			प्रतिभूत रकम के लिए खण्ड (क) के अधीन संदेय शुल्क का आधा।
छूट: कृषि उपज के पण्यम् या गिरवी की			

http://finance.rajasthan.gov.in

कोई लिखत यदि वह अनुप्रमाणित हो।			
7. से 20-क.	XX	XX	XX
21 धारा 2 (xi) द्वारा यथा-परिभाषित **हस्तान्तरण-पत्र.-**			
(i) से (ii)	XX	XX	XX
(iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो,-			अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपये के अध्यधीन रहते हुए- (i)ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित या रद्द किये गये शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, में समाविष्ट कुल रकम और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या (ii) अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, जो भी अधिक हो।
(iv)	XX	XX	XX
22. से 57.	XX	XX	XX
58. **संकर्म संविदा** अर्थात् उसके निष्पादन में माल में की संपत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) अन्तरण को अन्तवर्लित करने वाले संकर्म और मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा और उसमें उप-संविदा भी सम्मिलित है।			अधिकतम पन्द्रह हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी संविदा में रखी गयी रकम या मूल्य का 0.25 प्रतिशत।
XX	**XX**	**XX**	**XX**

http://finance.rajasthan.gov.in

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

4. कर का अधिरोपण.- (1) इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन बनाये गये नियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर राज्य में उपयोग में लिये जाने वाले या उपयोग के लिए रखे जाने वाले समस्त मोटर यानों पर,-

(क) ऐसे यानों के संबंध में जो खण्ड (ख), (ग), (गग) या (घ) के अन्तर्गत नहीं आते हों, कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाये, जो चेसिस/यान की लागत के 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु जहां दरें राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या मासिक आधार पर विनिर्दिष्ट नहीं की जायें और यदि कर का त्रैमासिक रूप से, अर्द्धवार्षिक रूप से या मासिक रूप से संदत्त किया जाना अनुज्ञेय हो तो संदेय रकम कर की वार्षिक दर की क्रमश: एक चौथाई, आधी या एक बटे बारह की समतुल्य रकम होगी;

(ख) परिवहनेतर यानों के मामले में एकबारीय कर, जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाये, जो यान/चैसिस की लागत के 16% से अधिक नहीं होगा:

परन्तु एकबारीय कर के साथ-साथ, ऐसे किसी मोटर यान का, जिस पर एकबारीय कर संदेय है, कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा ऐसे कोई भी कर या शास्ति, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो ऐसे यानों पर समय-समय पर लागू थीं:

परन्तु यह और कि ऊपर उल्लिखित मोटर यान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जायें, अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा;

(ग) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और राजस्थान में सड़कों का उपयोग करने वाले मोटर यानों के संबंध में, कर, ऐसी दरों से, जो राज्य सरकार

http://finance.rajasthan.gov.in

द्वारा राज-पत्र में अधिसूचित की जायें, जो यात्री यानों की दशा में 7 दिन या उसके भाग के लिए 500/- रुपये प्रति सीट से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए, जी.वी. डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा और संनिर्माण उपस्कर यानों की दशा में लदान रहित वजन के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए, 30 दिन या उसके भाग के लिए 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा;

(गग) से (घ) XX XX XX

(ङ) परिवहन यानों की दशा में एकबारीय कर ऐसी दरों से, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जायें, जो यान/चैसिस की लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु एकबारीय कर के अतिरिक्त ऐसे परिवहन यान, जिस पर एकबारीय कर संदेय है, के स्वामी या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई भी कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो ऐसे यानों पर समय-समय पर लागू थी:

परन्तु यह और कि परिवहन यानों का स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को या तो खण्ड (क) के अधीन उद्ग्रहीत कर या खण्ड (ङ) के अधीन उद्गृहीत एकबारीय कर संदत्त करने का विकल्प होगा,

उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन एकबारीय कर या एकमुश्त कर के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों से भिन्न मोटर यानों पर कर, मोटर यान के स्वामी द्वारा उस कालावधि को छोड़कर संदेय होगा, जिसके दौरान वह स्वामी कराधान अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र विहित रीति से अभ्यर्पित कर देता है कि यान ऐसे कारणों से जो विहित किये जायें, उपयोग में नहीं आया है; या कराधान अधिकारी का यह समाधान कर देता है कि यान का निम्नलिखित कारणों से उपयोग नहीं किया गया है:-

(i) कि सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा मोटर यान को चलने से अवरूद्ध किया गया था;

http://finance.rajasthan.gov.in

(ii) कि मोटर यान किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त था और पुलिस को इस आशय की रिपोर्ट की गई थी और दुर्घटना के कारण उसको उपयोग में नहीं लाया गया था;

(iii) कि मोटर यान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अधीन कर को वसूली के लिए कुर्क किया गया था या सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा जारी किये गये कुर्की के वारण्ट के अधीन कुर्क किया गया था और कुर्की की कालावधि के दौरान वह यान उसके कब्जे में नहीं रहा था:

परन्तु ऐसे अभ्यर्पण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाड़ियों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाड़ियों से भिन्न के लिए एक मास से कम की नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे यान, जिसके लिए धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर का संदाय कर दिया है, से भिन्न कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् भी चलता हुआ पाया जाये वहां ऐसे यान पर कर उस सम्पूर्ण कालावधि के लिए जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित किया गया था, कर की रकम के पांच गुने के बराबर शास्ति सहित तुरन्त संदेय होगा, किन्तु ऐसा कोई भी कर या शास्ति मरम्मत के लिए या परीक्षण प्रयोजनों के लिए जा रहे खाली यानों से प्रभारित नहीं किया जायेगा।

4-ख. विशेष सड़क कर.- धारा 4 के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त और ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, ऐसे परिवहन यानों, जिनके लिए धारा 4-ग के अधीन संदेय कर एकमुश्त संदत्त कर दिया गया है, के सिवाय, समस्त परिवहन यानों पर एक विशेष सड़क कर ऐसी दरों से उद्गृहीत किया जायेगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, जो यात्री यानों के संबंध में 2000/-रु. प्रति दिन से अधिक नहीं होगा और अन्य राज्यों के माल यानों के संबंध में या इस राज्य के अस्थायी परमिटों पर चलने वाले यानों के लिए जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. के प्रत्येक एक हजार कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए तीस दिन के लिए प्रति एक हजार कि.ग्रा. वहन क्षमता पर 250/- रु. से अधिक नहीं होगा और अन्य यानों के संबंध में चेसिस/यान की लागत के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

स्पष्टीकरण.- कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए चेसिस/यान की लागत में क्रय कीमत और ऐसे अन्य तत्व सम्मिलित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे मोटर यानों से, जिनके लिए धारा 4-ग के अधीन एकबारीय कर संदत्त कर दिया गया है, भिन्न कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् भी चलता हुआ पाया जाये वहां ऐसे यान पर विशेष सड़क कर, सम्पूर्ण कालावधि के लिए जिसके लिए ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभ्यर्पित किया गया था, विशेष सड़क कर की रकम के पांच गुना के बराबर शास्ति सहित तुरंत संदेय होगा परन्तु ऐसा कोई भी कर या शास्ति, मरम्मत के लिए या परीक्षण प्रयोजनों के लिए जा रहे खाली यानों से प्रभारित नहीं की जायेगी।

4-ग. एकमुश्त कर का अधिरोपण.- धारा 4 और धारा 4-ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें, समस्त परिवहन यानों पर कर ऐसी दरों से एकमुश्त उद्गृहीत किया जायेगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, जो यान/चैसिस की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु परिवहन यान का स्वामी या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के पास या तो धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ङ) और धारा 4-ख के अधीन उद्गृहीत कर संदत्त करने या धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर संदत्त करने का विकल्प होगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा 01-4-2007 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किये गये परिवहन यानों के ऐसे वर्ग, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के स्वामियों या कब्जा रखने वाले व्यक्तियों से, धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ङ) और धारा 4-ख के अधीन संदेय कर के स्थान पर धारा 4-ग के अधीन कर के एकमुश्त संदाय की अपेक्षा कर सकेगी।

4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी

http://finance.rajasthan.gov.in

दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

सारणी

XX **XX** **XX** **XX**

(2) XX XX XX

4-ङ. अधिभार का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उक्त धाराओं के अधीन अधिरोपित कर में, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 15) के प्रारंभ से, उक्त कर के 20 प्रतिशत से अनधिक, ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अधिभार द्वारा वृद्धि की जायेगी।

(2) XX XX XX

5. कर का संदाय.- (1) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर और उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, धारा 4, धारा 4-ख और धारा 4-ग के अधीन उद्ग्रहणीय कर, मोटर यान के प्रत्येक स्वामी द्वारा या उस पर कब्जा अथवा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से, अग्रिम रूप से संदत किया जायेगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर देने के दायी विशेष वर्गों के यानों या व्यक्तियों के मामले में कर के संदाय की सीमा को भविष्य या भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा सकेगी:

परन्तु यह और कि धारा 4-ग के अधीन संदेय एकमुश्त कर एक बार में या एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर तीन समान किस्तों में ऐसी रीति से संदत्त किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(2) जहां किसी भी मोटर यान पर, संदेय एकबारीय कर या एकमुश्त कर से अन्यथा कर, किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम बार संदेय होता है वहां संदेय कर, यदि वार्षिक दर विहित हो, प्रत्येक कलैण्डर मास या उसके किसी भाग के लिए वार्षिक दर का बारहवां भाग होगाः

परन्तु जहां धारा 4ख के अधीन अनन्य रूप से नगर मार्गों पर चलने वाली उन मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों पर कर, किसी भी मास के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार संदेय हो जाता है वहां संदेय कर आनुपातिक आधार पर उस मास की शेष कालावधि के लिए होगा:

http://finance.rajasthan.gov.in

परन्तु यह और कि जहां संविदा यान पर धारा 4ख के अधीन कर, प्रथम बार किसी भी मास के प्रारंभ के पश्चात् संदेय होता है, वहां संदेय कर आनुपातिक आधार पर उस मास की शेष कालावधि के लिए होगा।

(3) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ङ) या धारा 4-ग के अधीन संदेय पूरा कर या कर की प्रथम किस्त,-

(क) जहां मोटर यान, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने पर या उसके पश्चात् क्रीत किया जाता है या राज्य में उपयोग में लेने के लिए लाया या उपयोग के लिए रखा जाता है, वहां ऐसे क्रय या ऐसे लाये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर या राज्य में ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन की तारीख को, जो भी पहले हो; या

(ख) जहां मोटर यान राजस्थान वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 5 के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व राज्य में उपयोग में लाया गया है या रखा गया है, वहां ऐसे प्रवृत्त होने के साठ दिन के भीतर-भीतर,

संदेय होगा।

(4) जहां कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् भी चलता हुआ पाया जाये, वहां ऐसे यान पर धारा 4 और धारा 4-ख के अधीन उद्गृहीत कर, स्वामी या मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस सम्पूर्ण कालावधि के लिए, जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र अभ्यर्पित किया गया था, कर की रकम की पाँच गुना के बराबर शास्ति सहित तुरन्त संदेय होगा किन्तु ऐसा कोई भी कर या शास्ति मरम्मत के लिए या परीक्षण प्रयोजनों के लिए जा रहे खाली यानों पर प्रभारित नहीं की जायेगी।

XX XX XX XX

7. कर का प्रतिदाय.- (1) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने कर धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ङ) के अधीन या धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर से अन्यथा या कर की किस्त संदत्त कर दी है, कराधान अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसा कर या उसकी किस्त का संदाय कर दिया गया है, पिछली बार कर या उसकी किस्त का संदाय किये जाने के समय से कम से कम लगातार एक मास से अन्यून की कालावधि तक उपयोग में नहीं लिया गया है तो वह उस कालावधि के, जिसके लिए ऐसे कर या किस्त का

http://finance.rajasthan.gov.in

संदाय कर दिया गया है, प्रत्येक पूरे मास के लिए, ऐसे यान के संबंध में संदत्त कर की वार्षिक दर के 1/12 के बराबर रकम के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(2) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ङ) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है, राज्य के बाहर ले जाया गया है या पूरी तरह से विनष्ट हो गया है या ऐसे यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जो कम कर का दायी है तो वह विहित रीति से अनुपाततः ऐसे कर के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(3) कराधान अधिकारी, देय कर से अधिक संदत्त किसी भी रकम का विहित रीति से प्रतिदाय या समायोजन कर सकेगा।

XX XX XX XX

10. रसीद और टोकन या कर प्रमाण-पत्र का दिया जाना.- (1) कराधान अधिकारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने उसे कर संदत्त किया है,-

(क) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले किसी भी मोटर यान के सम्बन्ध में, संदत्त कर की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने वाली एक रसीद और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला, जो कि विहित की जायें, एक कर प्रमाण-पत्र भी; या

(ख) ऊपर खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले से भिन्न मोटर यान के सम्बन्ध में, एक यथापूर्वोक्त रसीद और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला, जो कि विहित की जायें, एक टोकन देगा और परिदत्त करेगा:

परन्तु किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में कोई भी टोकन जारी नहीं किया जायेगा यदि धारा 4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क-कर और राजस्थान यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 18), जैसा कि वह राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) अधिनियम, 1982 के पूर्व विद्यमान था, के अधीन बकाया देय और सृष्ट और-मांग, यदि कोई हो, संदत्त न कर दी गयी हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन किसी भी मोटर यान का राजस्थान में उपयोग तब तक नहीं किया जायेगा या उसे उपयोग के लिए तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक उसके स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने,-

http://finance.rajasthan.gov.in

(क) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ङ) के अधीन आने वाले किसी यान के मामले में, कोई कर प्रमाण-पत्र, जो सदैव ऐसे यान में रखा जायेगा, या

(ख) ऊपर खण्ड (क) के अधीन आने वालों से भिन्न यान के मामले में, एक विधिमान्य टोकन, जो सदैव ऐसे यान पर विहित रीति से प्रदर्शित किया जायेगा,

अभिप्राप्त न कर लिया हो।

10-क. विशेष टोकन का दिया जाना.- किसी मोटर यान का कोई भी स्वामी, जिसने मोटर यान कर और विशेष सड़क कर का संदाय अग्रिम रूप से कर दिया है, विहित फीस के संदाय पर विशेष टोकन देने के लिए कराधान अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और कराधान अधिकारी विशेष टोकन ऐसी रीति से जारी करेगा, जो विहित की जाये।

10-ख. कम्प्यूटरकरण.- इस अधिनियम के अधीन रसीद, कर प्रमाण पत्र, टोकन, विशेष टोकन आदि देने के कार्य का ऐसी रीति से कम्प्यूटरकरण किया जा सकेगा, जो विहित की जाये। ऐसा कार्य किसी भी एजेन्सी को सौंपा जा सकेगा और उपगत खर्चा यान के स्वामी से ऐसी रीति से वसूल किया जा सकेगा, जो विहित की जाये।

11. अपराध.- (1) जो कोई,-

(क) रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में या अन्यथा, राज्य में उपयोग में लिये गये या उपयोग के लिए रखे गये किसी भी मोटर यान को, उक्त यान के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर या अतिरिक्त कर या विशेष सड़क कर की रकम संदत्त किये बिना अपने कब्जे या नियंत्रण में रखता है; या

(ख) ऐसी घोषणा या अतिरिक्त घोषणा परिदत्त करता है जिसमें इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसमें उपवर्णित की जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का पूर्णत: और सही कथन नहीं किया गया है; अथवा

(ग) किसी भी अधिकारी को धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में बाधित करता है या जब धारा 17 के अधीन उक्त अधिकारी द्वारा मोटर यान को रोकने की अपेक्षा किये जाने पर उसे नहीं रोकता है;

http://finance.rajasthan.gov.in

वह दोषसिद्धि पर इतने जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उक्त यान के सम्बन्ध में संदेय वार्षिक कर के दुगुने से कम नहीं होगा किन्तु जो ऐसे वार्षिक कर के पांच गुने तक का हो सकेगा।

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

22. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) XX XX

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त प्रयोजनों या उनमें से किन्हीं के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्:-

(क) से (कक) XX XX XX

(ख) किसी भी प्रमाण-पत्र, घोषणा, विवरणी, नोटिस, रसीद या टोकन का प्ररूप और उसमें कथित की जाने वाली विशिष्टियां, और मोटर यान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(खख) XX XX XX

(खखख) वह रीति विहित करना जिससे इस अधिनियम के अधीन रसीद, प्रमाण-पत्र, टोकन, विशेष टोकन आदि देने के कार्य का कम्प्यूटरकरण किया जाये और किसी भी एजेन्सी को सौंपा जाये और उपगत खर्चा उस यान के स्वामी से वसूल किया जाये;

(ग) से (झ) XX XX XX

XX XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in